उत्तर प्रदेश शासन
पर्यटन अनुभाग
संख्या- 54 / 2023/आई/267139/41-1099/58/2019-469 (सा0)/2012
लखनऊ दिनांक 27 जनवरी, 2023

कार्यालय ज्ञाप

उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग सपरामर्श चयनोन्नति नियमावली-1970 के प्रावधानानुसार लोक सेवा आयोग, उ0प्र0, प्रयागराज के माध्यम से पर्यटन विभाग के अधीन पर्यटक अधिकारी पद से क्षेत्रीय पर्यटक अधिकारी के पद पर पदोन्नति द्वारा नियमित चयन हेतु लोक सेवा आयोग में दिनांक 19.12.2022 को संपन्न बैठक की लोक सेवा आयोग पत्र संख्या-705(2)/01/पी0/एस-9/2022-23, दिनांक 21.12.2022 द्वारा उपलब्ध करायी गयी संस्तुति के क्रम में अधोलिखित सारणी में वर्णित अधिकारियों को पर्यटक अधिकारी पद से कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से **"क्षेत्रीय पर्यटक अधिकारी"** (वेतनमान रू0 15,600 39,100/-, ग्रेड पे रू0 5400/-, पुनरीक्षित वेतन में मैट्रिक्स लेवल-10) के पद पर पदोन्नति प्रदान किये जाने की श्री राज्यपाल एतद्द्वारा सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

क्र0	ज्येष्ठता क्रमांक	अधिकारी का नाम	चयन वर्ष
1	**2**	**3**	**4**
1	01	श्री एहतराम अली	
2	02	श्रीमती दीप्ति वत्स	2021 2022

2- प्रश्नगत चयन परिणाम/उपर्युक्तानुसार प्रोन्नति, इससे सम्बन्धित यदि कोई याचिका/ प्रत्यावेदन/विभागीय कार्यवाही लम्बित हो तो उसमें पारित होने वाले अंतिम निर्णय के अधीन होगा।

3- उ0 प्र0 सरकारी सेवक परिवीक्षा नियमावली-2013 (यथा संशोधित) में निहित व्यवस्था के तहत उपर्युक्त प्रोन्नत अधिकारियों को उनके कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से 02 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर रखा जायेगा।

4- उपर्युक्त प्रोन्नत अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि वे तत्काल क्षेत्रीय पर्यटक अधिकारी के पद पर कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करें।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

5- उपर्युक्त प्रोन्नत अधिकारियों के नियमित तैनाती के आदेश पृथक से निर्गत किये जायेगें। नियमित तैनाती होने तक उक्त अधिकारी अपनी वर्तमान तैनाती स्थल पर पूर्ववत कार्य करते रहेंगे।

6- उपर्युक्त प्रोन्नत अधिकारियों की ज्येष्ठता का निर्धारण उ0प्र0 सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली-1991 (यथा संशोधित) में दी गयी व्यवस्था के अनुसार बाद में की जायेगी।

श्री राज्यपाल के आदेश से,

(मुकेश कुमार मेश्राम)
प्रमुख सचिव।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार, उ0प्र0 प्रयागराज ।
2. महानिदेशक, पर्यटन उ0प्र0, लखनऊ।
3. सचिव, लोक सेवा आयोग, उ0प्र0, प्रयागराज ।
4. निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उ0प्र0, प्रयागराज को सरकारी गजट के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ ।
5. निदेशक, पर्यटन उ0प्र0, लखनऊ।
6. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राज्य पर्यटन विकास निगम लि0, लखनऊ। ।
7. वित्त नियंत्रक, पर्यटन निदेशालय द्वारा महानिदेशक
8. सम्बन्धित कोषाधिकारी द्वारा महानिदेशक। 9. सम्बन्धित अधिकारी द्वारा महानिदेशक।
10. सम्बन्धित अधिकारी की व्यक्तिगत पत्रावली में रखे जाने हेतु ।
11. गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,

(संजीव कुमार श्रीवास्तव)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।